न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 80/2016 RCMS No.—2016/00221

बाबूलाल पुत्र श्री स्वर्गीय गोकुल चन्द, आयु 44 साल, जाति माली, निवासी ग्राम तुंगा ढाणी रामटीबा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत तुंगा, तंहसील बस्सी, जिला जयपुर जरिये सरपंच।

...गैर निगरानीकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत निरस्त किये जाने आदेश दिनांक 06.06.2016 ग्राम पंचायत तुंगा, पं.स. बस्सी, जिला जयपुर।

———————

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाश चन्द भारती निगरानीकार की ओर से।

———————————

निर्णय दिनांकः 18.11.2020

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत तुंगा, पं.स. बस्सी द्वारा दिनांक 06.06.2016 को लिये गये प्रस्ताव संख्या 2 ,से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.12. 2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का जवाब दिनांक 02.08.2017 प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार अनुपस्थित। पत्रावली पर बहस उपस्थित अधिवक्ता सुनी गई।

वकील निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा दिनांक 06.06.2016 का लिया गया प्रस्ताव संख्या 2 विधिसम्मत नहीं है। विवादित भूमि निगरानीकर्ता की पैतृक अचल सम्पत्ति ग्राम तुंगा, तहसील बस्सी में स्थित है। जिसमें निगरानीकार ने बाउण्ड्रीवाल बनाकर टीनसेट का मकान बना रखा है। निगरानीकार अपने पशु वही रखता है एवं भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 30.12.1983 को विजयनारायण के नाम से निःशुल्क जारी किया गया। जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता ने माननीय न्यायालय में निगरानी बउनवानी बाबूलाल बनाम प्रभाती पेश की जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.11.2015 को प्रकरण ग्राम पंचायत को रिमाण्ड कर आदेश पारित किया था कि ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा उभय पक्षो की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण विवादित भूखण्ड के मौके एवं कब्जे की स्थिति तथा पात्रता के आधार पर पात्र व्यक्ति को ही राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:59:13 IST
Reason: SelfAttested

नियमों में निर्धारित प्रकिया अनुसार पट्टा जारी करने के संबंध में पुनः कार्यवाही करे। माननीय न्यायालय के आदेश की जानकारी गैर निगरानीकार को होने के बावजूद निगरानीकार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ग्राम पंचायत द्वारा अपनी हठधर्मिता से दिनांक 06.06.2016 को निगरानीधीन प्रस्ताव संख्या 2 लिया गया जो गलत है। निगरानीकार ने विवादित भूमि का पट्टा लेने हेतु गैर निगरानीकार के यहां आवेदन भी कर रखा है। गैर निगरानीकार ग्राम के प्रभावशाली लोगो के साथ मिलकर आंगनबाडी के नाम से निगरानीकार की कब्जेशुदा जमीन को नाजायज तरीके से हडपना चाहते है। मौके पर निगरानीकार का कब्जा है एवं माननीय न्यायालय ने भी निगरानीकार का कब्जा मानते हुए निगरानी स्वीकार करके विजयनारायण व रामसहाय का पट्टा खारिज किया था तथा पुलिस थाना तुंगा ने भी एक फौजदारी प्रकरण में निगरानीकार का कब्जा मानते हुए अन्तिम रिपोर्ट पेश की है। निगरानीकर्ता को निगरानीधीन आदेश की जानकारी तब हुई जब गैर निगरानीकार ने मौके पर आकर निगरानीकर्ता को धमकी दी और कहा कि यह सम्पत्ति ग्राम पंचायत की है एवं इस पर आंगनबाडी भवन बनाया जायेगा। निगरानीकर्ता को उक्त आदेश की नकल भी नहीं दी गई है, जिसके पश्चात निगरानीकर्ता ने माननीय न्यायालय में ग्राम पंचायत तुंगा के अवैध आदेश के विरूद्व निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तुंगा का आदेश दिनांक 06.06.2016 को निरस्त करने की कृपा करे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की दलील है कि ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा निगरानीधीन प्रस्ताव पारित करने से पूर्व निगरानीकार को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा निगरानीधीन प्रस्ताव पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित निगरानी संख्या 14/2015 बउनवानी बाबूलाल बनाम प्रभाती देवी एवं निगरानी संख्या 15/15 बउनवानी बाबूलाल बनाम नाथी में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2015 अनुसार ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा विजयनारायण एवं रामसहाय के पक्ष में आदेश दिनांक 30.12.1983 से जारी पट्टो को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत को रिमाण्ड किया था कि ग्राम पंचायत दोनो पक्षो की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:59:13 IST
Reason: SelfAttested

कर विवादित भूखण्ड के मौके एवं कब्जे की स्थिति एवं पात्रता के आधार पर पात्र व्यक्ति को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुनः पट्टा जारी करने के संबंध में पुनः कार्यवाही करे। ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा उक्त विवादित भूमि पर आदेश दिनांक 06.06.2016 से प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा आंगनबाडी बनाने का प्रस्ताव पारित किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण नहीं किया गया एवं कब्जे और मौके की स्थिति का अवलोकन किये बिना ही निगरानीधीन प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया है। ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा न्यायालय हाजा के निगरानी संख्या 14/15 एवं 15/15 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2015 की पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत तुंगा द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा लिया गया प्रस्ताव संख्या 2 न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत तुंगा, पंचायत समिति बस्सी द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा लिया गया प्रस्ताव संख्या 2 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण ग्राम पंचायत तुंगा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (**Remand**) किया जाता है कि प्रकरण में निगरानीकार की सुनवाई की जाकर, निगरानीकार को साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर विवादित भूमि का मौका निरीक्षण कर मौके एवं कब्जे की स्थिति के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 में निर्धारित प्रकिया एवं नियमानुसार विधिसम्मत निर्णय लेवें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 15:59:13 IST
Reason: SelfAttested